→ COLLEGE NAME :- SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION
→ CLASS :- D.EL.Ed, AT- KRINDIH, KUMAHU STATION, SASARAM
→ PAPER (F6) :- GENDER & INCLUSIVE PERSPECTIVE IN EDUCATION
→ UNIT :- 3
→ TOPIC :- शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेण्डर विभेद
→ By :- PRABHAKAR SAHU
→ DATE :- 05.05.2020

शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेण्डर विभेद :-
[Popular Gender Inequalities in School & Education System]:-

Introduction:- प्राचीन काल में लिंग भेद नहीं था स्त्री और पुरुष को शिक्षा प्राप्त करने बराबर अवसर दिया जाता था। हम जानते हैं की वैदिक काल बालक-बालिका को समानता के आधार पर उपनयन संस्कार था। इसके बाद मध्यकालीन भारत में राजनैतिक और सामाजिक बदलाव के कारण महिलाओं का स्तर गिर जाने से उनका शैक्षिक क्रियाओं में भाग लेना कम हो गया। समाज में लिंगभेद व्याप्त हो गया। इसके बाद देश में अंग्रेजों का काल आया, इस काल में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन भाग लेने का अवसर मिला। लेकिन सामाजिक परिस्थिति महिला शिक्षा में बाधा बनी।

जब देश आजाद हुआ तो लिंगभेद के प्रति हमारे सोच में बदलाव आया तथा विभिन्न कानूनी परिवर्तन किया जिससे स्त्री शिक्षा प्राप्त कर सके।

⇒ CURRICULUM/पाठ्यक्रम → अर्थ, परिभाषा
→ उद्देश्य
→ आवश्यकता
→ सिद्धांत
→ आधार

} → ये सभी 30.04.2020 को ICT के माध्यम से पढ़ाया गया।

*** पाठ्यक्रम के दोष [Demerits of Curriculum]:-** निम्नलिखित दोष हैं।

1. ज्ञान पर परीक्षाओं का पूर्ण अधिकार व नियंत्रण है।
2. यह पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है।
3. इसमें तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों का अभाव है।
4. इसका निर्माण पाठ्यक्रम विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से करते हैं।
5. इसका निर्माण विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए किया जाता है।
6. इसका दृष्टिकोण संकुचित है।
7. इसमें छात्र की आवश्यकताओं, रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता है।
8. इसमें अर्थात् पाठ्यक्रम में अनावश्यक तथ्यों एवं महत्वहीन (जिसका कोई महत्व नहो) विवरणों से के पाठ्यविषय होते हैं।
9. इसके निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता।

Scanned with CamScanner

10. बालकों पर बोझ के भाँति दे दिया जाता है।

* पाठ्यक्रम के विचार एवं महिला के शैक्षिक अवसर :-
(Ideas of curriculum & Educational Opportunity of Women)

आज भी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों व स्थानों में दूसरा दर्जा दिया जाता है। लेकिन शिक्षा के मामले में आजादी बाद से ही महिलाओं के समानता सरकार द्वारा दी जा रही है। भारत में 2001 में जनगणना की गई जनगणना के आकड़ों के अनुसार 2001 में 102 करोड़ 70 लाख 15 हजार 257 व्यक्ति थे, जिसमें 49.37 करोड़ महिलाएं थीं। भारत में महिलाओं की साक्षरता 54.1% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 75.9% है। सरकार ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने की नीति बनाई है।

1. बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की योजना बनायी जाए।
2. स्त्रीयों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए।
3. बालिकाओं एवं स्त्रीयों को व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा दिलाए जाए।
4. स्त्रीयों की शैक्षिक समानता विभिन्न क्रियाएँ की जाएँ।
5. स्त्रीयों को आरक्षण का लाभ देना।
6. उन्हें भी व्यवसाय एवं तकनीक का पुरुष के समान अवसर दिया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय स्त्रीयों की दशा में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हस्तक्षेप करना होगा। यह तय किया गया की :-

= सभी स्त्रीयों को बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार के लिए प्रबंधन का ढाचा बनाना एवं उसे प्रयोग लाना।
= व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश का विस्तार करना।
= समाज में हर वर्ग की स्त्री को समान शैक्षिक अवसर देना।

* शालाओं/विद्यालयों में जेण्डर विभेद एवं पाठ्यक्रम :-

विद्यालयों में बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर रखने के प्रश्न पर **श्रीमती हंस मेहता** की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त समिति ने विशेषरूप से जाँच की। **कोठारी आयोग** ने इस समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है :- जिस प्रजातन्त्रात्मक और समाजवादी आदर्श पर आधारित समाज की कल्पना की गई उसमें शिक्षा व्यक्तिगत क्षमताओं, अभिवृत्तियों और रुचियों से संबंधित होगी जिसका वास्तव में लिंगभेद से कोई संबंध नहीं है। अतः समाज की शिक्षा में लिंगभेद के आधार पर पाठ्यक्रम में अन्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोठारी आयोग ने उक्त सुझावों से सहमति प्रकट की और कहा कि आयोग ने सभी विद्यार्थियों के लिए वर्ग 10 तक समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। आयोग ने इस संबंध में निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान दिलाया।

⇒ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का ऐच्छिक विषय है। लेकिन इसे बालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

⇒ संगीत एवं ललित कला भी बालिकाओं का पसंदिदा विषय है। माध्यमिक स्तर पर इन विषयों की शिक्षा की सामान्य व्यवस्था है। इस विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना।

⇒ बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने और इन विषयों की अध्यापिकाएँ तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

⇒ बालकों - बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

⇒ महिलाओं की भूमिका को उभारना और इतिहास में विभिन्न बहादुर महिलाओं की कथा विशेष कर भारतीय महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान की कथाएँ को सम्मिलित करना।

⇒ शारीरिक शिक्षा और खेलों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

⇒ ऐसी आधारभूत कानूनी सूचनाएँ दी जानी चाहिए, जिसमें महिलाओं को संरक्षण मिले।

* पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने का सुझाव :-

विद्यालय व शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में लिंग असमानता के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं।

(1.) पाठ्यक्रम निर्माण के समय लैंगिक भेदभाव अर्थात् बालक - बालिकाओं के समूह को अलग नहीं करना चाहिए। बल्कि उन्हें अपने पाठ्यक्रम में बराबरी देना चाहिए एवं उन्हें एक दिशा व समान कार्य करने की प्रणाली उपयोग में लानी चाहिए।

(2.) पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक एवं सहशैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों में बालिका वर्ग के योगदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर बालिकाओं को इस कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।

(3.) नृत्य, गायन व कला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करना।

(4.) स्त्री प्रशिक्षण और व्यवसायिक कोर्स को अनिवार्य रूप से लागू करना।

(5.) विषय के चुनाव में परिवार, शिक्षक, एवं सभी संबंधियों द्वारा बालिकाओं में प्रेरणा उत्पन्न करना।

(6.) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालक बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(7.) अतः इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय में परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम विस्तार द्वारा लिंग के भेदभाव, असमानता को कम किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को यह बताना चाहिए की स्त्री-पुरुष दोनों को मिलकर साथ रहना है, स्त्री बस पुरुष की दासी नहीं है, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना धन - सम्पत्ति से दूर रखना एवं घरेलू हिंसा करना आदि विचारों की निंदा, भर्त्सना करना चाहिए, तथा समानता की सोच विकसित करना चाहिए। जिससे नारी - पुरुष के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

Continue for next day-